AIDWA

- संपादकीय
- कैप्टन लक्ष्मी सहगल को याद करते हुए - कॉम. बृंदा
- एडवा महिलाओं के दुखों को आवाज़ देगी- मरियम धवले
- प्रवासी मजदूरों पर रिपोर्ट- मधु गर्ग
- सीबीएसई के आदेश पर आलेख- मनजीत राठी
- वरवरा राव की कवितायें और लेख- संपादक द्वारा अनुवाद
- मनुस्मृति के संबंध में शोध पत्र- नम्रता सिंह
- योगी राज का चेहरा - सुभाषिणी अली
- अंधविष्वास और निकम्मे शासक- रामपरी
- कष्मीर की कवितायें - सुभाषिणी अली
- संरक्षण गृहों की असलियत संदर्भ उत्तर प्रदेश और हरियाणा - सुभाषिणी अली और जगमति सांगवान

संपादकीय

कोरोना की महामारी थमने का नाम नहीं ले रही है। जब हमारा पहला बुलेटिन निकला था, 1 जून को पूरे देश मे 5,85,000 कोरोना पाजिटिव केस थे, दुनिया के चौथे नंबर पर हम थे। तब तक 17,400 लोगों की मौत हो चुकी थी। आज, 1 अगस्त से कुछ दिन पहले, 24 जुलाई को हम दुनिया के तीसरे नंबर पर पहुँच गए हैं। अभी 16,00,000 से अधिक पाजिटिव केस हैं और 35,000 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। 1 महीने मे मरीज़ों और मरने वालों की संख्या दुगनी हो गयी है और दोनों की बढ्ने की रफ्तार तेज होती ही चली जा रही है। केरल को छोड़, कोई भी सरकार अपनी स्वास्थ सेवाओं को बढ़ाने मे सफलता हासिल नहीं कर पायी है। स्वास्थ के प्रति कई दशकों की सरकारी उदासीनता के भयानक परिणाम सामने आ रहे हैं।राज्य सरकारों के पास बीमारी से निबटने के लिए और बीमारों को स्वस्थ करने के लिए साधन समाप्त होते दिखाई दे रहे हैं। और केंद्र सरकार किसी तरह की मदद करने को तैयार ही नहीं है। PMcares मे इकट्ठा अरबों रुपए किस दिन जनता के काम आएँगे, इसके कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। बस कुछ वेंटिलेटर, और वह भी घटिया दर्जे के, खरीद कर कुछ राज्यों के अस्पतालों मे बांटे गए हैं। अब तो केंद्र सरकार के स्वास्थ विभाग की ओर से जनता को संबोधित करना भी बंद हो गया है।स्थिति क्या है, आगे क्या होने वाला है, सरकार क्या कर रही है, यह तमाम बातें बंद हो गयी है। केंद्र का कोई मंत्री कोरोना के बारे मे बात करते नहीं दिखाई देता है। प्रधान मंत्री को तो खैर इन बातों से कोई मतलब ही नहीं है। देशवासियों को स्वस्थ बनाने के लिए वह क्या करने जा रहे हैं, इस पर तो वह मौन हैं लेकिन '150' अन्य देशों की मदद करने का वह दावा जोर शोर से कर रहे हैं। सच तो यह है की दुनिया भर मे 150 देश है ही नहीं जो कोरोना के प्रकोप से पीड़ित हैं।

अपनी नाकामी से ध्यान बंटाने के लिए, दवा और इलाज की मांग से बचने के लिए, सरकार राम मंदिर बनाने की तैयारी मे जुटी है। अस्पताल बनाने की बात तो दूर,, टूटी छतों, गंदी इमारतों, जर्जर वार्डो की मरम्मत करने की बात भी सरकारें नहीं कर रही हैं लेकिन चांदी की ईंटों की नींव डालकर, राम मंदिर बनाने की तय्यारियां जोर शोर से चल रही हैं। दवा, वेंटिलेटर, आई सी यू के अभाव मे 'भाभी के पापड़' खाकर कोरोना से निबटने का उपदेश जनता को दिया जा रहा है, कोरोना 'मईया' की पूजा करने की सलाह दी जा रही है।और मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, मरने वालों की संख्या भी भयावह हो रही है।

कोरोना के इस संकट ने आम लोगों की जिंदगी बिलकुल ध्वस्त कर दी है। चारों तरफ, अनिश्चितता का माहौल है। उद्योग, व्यापार, उत्पादन, कृषि सब बुरी तरह से प्रभावित हैं और इन क्षेत्रों मे काम

करने वाले लाखों महिलाओं और पुरुषों का भविष्य गर्दिश मे है। जो प्रवासी असीम कष्ट बर्दाश्त करके अपने घर पहुँचकर कसमे खा रहे थे की अब गाँव छोड़कर वह कभी नहीं जाएँगे, अब, मजबूर होकर, फिर गाँव छोड़कर नौकरी की तलाश मे निकल रहे हैं। उनके राज्यों की सरकार चलाने वालों के खोखले वादों से पेट नहीं भरता है!

महिलाए इस संकट की चैतरफा मार बर्दाश्त कर रही हैं। भूख और असुरक्षा ने उनको घेर रखा है। सरकारी राशन जो उन्हे मुफ्त मे हर हालत मे मिलना चाहिए, उससे भी उन्हे बड़ी संख्या मे वंचित रखा जा रहा है। काम कही ढूँढे नहीं मिलता। मनरेगा का काम शुरू तो कर दिया गया है लेकिन उसके काम के दिन बढ़ाए नहीं जा रहे हैं। अब 100 दिन के काम को तमाम घरवालों के बीच और परदेस से लौटने वालों के बीच बाँटना पड़ता है और महिलाओं के हिस्से मे आने वाला काम कम होता चला जाता है। शहरों मे इस योजना को शुरू करने की बात सरकार के समझ ही मे नहीं आती।

बहुत स्पष्ट है की सरकार की प्राथमिकता जनता की ज़रूरतों से मेल नहीं खाती हैं। रेल का निजीकरण करना, चुनिंदा घरानो की संपत्ति को इस हद तक बढ़ाना कि उसकी कल्पना भी करना मुश्किल है, मज़दूरों के अधिकारों मे लगातार कटौती करना, किसानों को बीज, खाद, पानी और बिजली से वंचित रख, उनकी फसल की लूट मे पूरी मदद करना और, संविधान को ताक पर रख के, तमाम नागरिकों के बुनियादी और कानूनी हुकूक को कठोरता से कुचलना, यह सरकार की प्राथमिकताएं हैं जिन्हे वह बड़ी क्रूरता से लागू कर रही है।

कोरोना के संकट द्वारा पैदा माहौल की दिक्कतों के बावजूद, विरोध की आवाज़ तेज हो रही है। हमे इस बात पर गर्व है कि पिछले महीने मे देश के कोने-कोने मे एडवा की तमाम इकाइयों ने क्षमता से अधिक मेहनत की है। बंगाल की हमारी बहनों ने अमफाम तूफान से मची तबाही का मुकाबला करते हुए, हजारों परिवारों को राहत पहुंचाने का काम किया है। असम मे आए भयानक बाढ़ से पीड़ित लोगों के बीच हमारी बहने पूरी ताकत के साथ मदद का काम कर रही हैं। देश भर मे रोज़गार, राशन और अन्य सवालों को लेकर 1 जून को पूरे संगठन के लोगों ने सक्रियता दिखाई। 10 जून को अन्य जन संगठनों के साथ, हमारी तमाम इकाइयों ने आवश्यक वस्तु कानून मे संशोधनों का डटकर विरोध किया। 23 जुलाई को, अपनी प्रिय नेता, कैप्टन लक्ष्मी सहगल के स्मृति दिवस के अवसर पर, गाँव, कस्बे और शहरों के तमाम चैराहों पर हमारी बहनों ने बैनर लगाए, पर्चे बांटे और सार्वजनिक स्वास्थ सेवाओं को मजबूत करने की मांग उठाई।

विरोध के इन तरीको के साथ, हमारी सदस्यों ने इस संकट के दौर मे, प्रचार करने और अपने विरोध व्यक्त करने का बहुत ही कारगर और प्रभावशाली तरीका सोशल मीडिया के इस्तेमाल के रूप मे विकसित किया है। राज्य स्तर पर ही नहीं बल्कि जिले और कहीं कहीं इकाई के स्तर पर, फेसबुक पेज और व्हाट्स एप के माध्यम से अपनी बात को दूर दूर तक पहुंचाने और अपने आक्रोश का इज़हार करने का काम किया जा रहा है।

इस संकट के दौर अनगिनत नई चुनौतियों से जूझना पड़ रहा है। इन नई चुनौतियों से निबटने के लिए नए रास्ते भी ढूँढे जा रहे हैं, आपस मे सामूहिकता की सोच को मजबूत किया जा रहा है और जिस संगठनात्मक शक्ति की आज आवश्यकता है, उसके निर्माण मे जुटने की शुरुआत हो गयी है।

सुभाषिनी अली

कैप्टन लक्ष्मी सहगल को याद करते हुए

बृंदा कारात
अनुवाद- मनजीत राठी

जुलाई 23, 2020, हमारी प्रिय नेता और एडवा की एक संस्थापक सदस्य,कैप्टन लक्ष्मी सहगल का आठवां स्मृति दिवस था। कोविड महामारी के इस संकट के समय में, जब कि कुनियोजित लॉक डाउन के कारण करोड़ों परिवारों पर अभूतपूर्व सामूहिक दुख आन पड़ा है, मैं हमारी सबसे प्रिय "माशी माँ" के बारे में, जैसा कि हम मे से अनेक उन्हे बुलाते थे, सोच रही हुँ। इस समय वे हमारे बीच होती, तो क्या क्या करती।

वे सबसे पहले और प्राथमिक रूप से लोगों की डॉक्टर थीं। आजादी के बाद उन्होंने, और उनके जीवनसाथी प्रेम सहगल ने, जो उनके इंडियन नेशनल आर्मी (आजाद हिन्द फौज) के सहकर्मी भी थे, सत्तारुढ़ प्रतिष्ठान का हिस्सा न बनने का राजनैतिक फैसला लिया। ये उनकी उन सत्तारूढ़ ताक़तों से दूरी, और देश के लोगों के प्रति, उनके सुख दुख और रोज़मर्रा के संघर्षों के प्रति नज़दीकी थी, जो उनके जीवन की पहचान बनी।

दोनों अपनी राष्ट्रीय लोकप्रियता के शिखर पे थे, घर घर में उनका नाम था। कैप्टन लक्ष्मी नेताजी सुभाष चंद्र बॉस के नेतृत्व मे रानी झांसी ब्रिगेड की प्रसिद्ध पहली महिला कमांडर थीं, कर्नल प्रेम सहगल आईएनए के तीन नायकों में से एक थे जिन्हे कुख्यात लाल किला मुकदमे मे बंदी बनाया गया था। पूरा भारत उनकी रिहाई की मांग से गूंज रहा था "लाल किले से आई आवाज, सहगल, ढिल्लों, शाहनवाज"। वे चाहते तो अपने लिए सत्ता के दमदार पदों की मांग कर सकते थे और कोई उन्हे मना नहीं कर सकता था। लेकिन ऐसा करना उनके लिए समझौता करने जैसा होता और इसलिए उन्होंने इस राह से मुंह मोड़ लिया। इसके बजाय वे कानपुर चले गए जहाँ प्रेम सहगल को नौकरी मिली। कैप्टन लक्ष्मी, एक यशस्वी डॉक्टर, ने गरीबों के लिए और विशेष रूप से गरीब महिलाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक मामूली चिकित्सा क्लिनिक खोलने का फैसला किया। यह किसी भी तरह से "दान" या 'रहमो-करम" पर आधारित नज़रिया नहीं था। यह दुनिया को देखने का एक अत्यधिक राजनीतिक तरीका था। वे दिल से मानती थी कि भारत की आजादी की रक्षा तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि भारत के गरीबों को शोषण और गरीबी के जीवन से मुक्ति नहीं मिलती और देश को चलाने में उनकी भूमिका नहीं तय होती।

कानपुर में अपने सामान्य से क्लिनिक में छह दशकों से अधिक, उन्होंने दिन रात गरीबों की सेवा में समर्पित किये। कभी किसी मरीज को वापस नहीं भेजा, और हर तरह से, कभी डाँट डपट से , कभी प्यार व खुशामद से, कभी परामर्श और सलाह से उनकी सेवा की। इसीलिए सब उन्हे प्यार से "मम्मी" कहते थे, उनसे उम्र में बहुत बड़े पुरुष और महिलायें भी उन्हे इसी उपनाम से बुलाते थे। दर असल वे एक समाज सुधारक थीं जिन्होंने जो भी उनके संपर्क मे आए,उनके जीवन से अंधविश्वास और निरर्थक रीत रिवाज दूर करने के लिए अथक संघर्ष किया। आज जब संघ परिवार के रूढ़िवादी प्रगतिविरोधी लोग "कोरोना माई" से बचाव के लिए महिलाओं को तमाम तरह के कर्मकांड करने के लिए लामबंद कर रहे हैं, मुझे "माशी माँ" की याद आती है, कि वे कितना गुस्से मे आती, और उन

महिलाओं के पास जा कर उन्हें वास्तविकता समझाने की कोशिश करती। महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा की ख़ातिर वे परिवार नियोजन मे गहरा विश्वास रखती थी। और जब वे हमें कई बार "गैर-जिम्मेदार पुरुषों" के लिए इस्तेमाल करने वाले अपने पसंदीदा मुहावरों के बारे मे बताती थी, हम अक्सर हंस हंस के लोटपोट हो जाते थे।

जनसेवा का यही जज्बा उन्हे 1971 मे बंगाल की सीमाओं पर ले गया। बंगाल के तत्कालीन मुख्य मंत्री, कॉमरेड ज्योति बसु द्वारा डॉक्टरों और अन्य चिकित्सा कर्मियों को सहायता के लिए जारी आह्वान के जवाब में, वे उन शरणार्थी शिविरों में मदद करने के लिए पहुंची जहां पूर्वी बंगाल के लाखों शरणार्थियों को शरण मिली थी। ये शरणार्थी पाकिस्तानी सैन्य हमले के दमन से भाग कर इन शिविरों मे आए थे। शिविरों में कम्युनिस्ट स्वयंसेवकों के समर्पित कार्य ने ही उन्हें सीपीआई (एम) में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। तब तक उन्होंने किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होने से इनकार कर रखा था।

मैं उस वक्त बंगाल मे थी। मैं एक स्वयंसेवक के रूप में सीपीआई (एम) साप्ताहिक, "पीपुल्स डेमोक्रेसी" के लिए रिपोर्ट तैयार करने के लिए उन शिविरों में गई थी। मुझे बीमार लोगों से निपटने की दिशा मे उनका काम, उनकी ऊर्जा, उनकी करूणा और सहानुभूति याद है। उस स्मृति के साथ, आज की कोविड प्रभावित दुनिया मे वे इस महामारी से निपटने के लिए क्या क्या करती, मैं एक सूची बना सकती हुँ। मैं उन्हे साफ साफ अपने बीच यहाँ उपस्थित देख सकती हुँ। अपनी तेज आँखों मे चमकता विश्वास लिए, वे प्रवासी मजदूरों के भोजन के लिए रसोई का इंतजाम करती। वे एकदम सुबह सवेरे उठ कर कोविड संक्रमित रोगियों की व्यवस्था करने की कोशिश कर रही होती। वे उन सभी हजारों महिलाओ की सहायता के लिए अपने क्लिनिक का इस्तेमाल करती, जिनका कोविड के नाम पर विभिन्न अस्पतालों ने इलाज करने से इनकार कर दिया है। वे अधिकारियों को धमकाती , सत्ता मे बैठे तमाम लोगों की घेराबंदी कर इनकी क्रूरता के अंत की मांग करती। वे अपने शरीर की हर साँस के साथ कोविड महामारी के सांप्रदायिक बनाए जाने के खिलाफ कड़ा संघर्ष करती। मै ये सोचने से कतराती हुँ कि अगर उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री उनके सामने आ गए होते, तो वे क्या करती।

एक बार, मुंबई में भारत छोड़ो आंदोलन को मनाने के लिए आयोजित एक बैठक के मंच पर, जिसमें दो बड़े नेता शामिल थे उनमे से एक जब उनके पैर छूने लगे, तो उन्होंने तुरंत उन्हे दूर छिटक दिया और कहा कि "तुम मुझे अपने खून से सने हाथों से नहीं छू सकते हो" !मैं हैरत मे हुँ कि अगर योगी आदित्यनाथ को ये शब्द कहे होते, जैसा कि वे अवश्य कहती, तो उन्हे क्या जेल में डाल दिया गया होता ?

उनका जीवन स्वास्थ्य के अधिकार, स्वास्थ्य देखभाल के सार्वभौमिक अधिकार और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए समर्पित था। उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें याद करते हुए, हम स्वास्थ्य देखभाल के निजीकरण के खिलाफ, जो कि मुनाफ़ा कमाने के लिए स्वास्थ्य देखभाल को एक माल के रूप में देखते हैं, उनके अनेक संघर्षों को भी याद करते है।

स्वतंत्रता सेनानियों के एक उच्च राजनीतिक परिवार में पलते बढ़ते हुए, उन्होंने अपने जीवन में स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को आत्मसात किया। उनकी शुरुआती बगावत मे से एक जाति व्यवस्था और "अछूतों " के खिलाफ होने वाले भेदभाव के खिलाफ थी। ताउम्र वे जाति व्यवस्था के खिलाफ पूरी मजबूती से बोली , हमेशा अंतर-जातीय विवाह को प्रोत्साहित करती और स्वयं उन मे शामिल होती। वे धर्मनिरपेक्ष राजनीति और धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों के प्रति भी इसी तरह प्रतिबद्ध थी। वे भाजपा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और इनकी विचारधारा और मूल्यों की कट्टर विरोधी थी। बेईमानी या बुरी राजनीति के खिलाफ बोलने से वे कभी नहीं कतराई। वे अपरंपरागत थी, और उन सामाजिक मानदंडों की परवाह नहीं करती थी जो सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी मे रोड़ा बनते हैं। उन्होंने अपना रास्ता खुद चुना। इसी रास्ते से वे कम्युनिस्ट आंदोलन में आई, और इसी राह पे चलते उन उल्लेखनीय महिलाओं में शामिल होने का फैसला लिया जिन्होंने तमाम अवरोधों को तोड़ा- एडवा की संस्थापक महिलाएं । एक राष्ट्रीय नायिका, एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ, अद्भुत विनम्रता के साथ उन्होंने संगठन के निर्माण में मदद की। शुरुआती दिनों में बैठक में भाग लेने वाली महिलाओं की कम संख्या के बारे में वे कभी परेशान नहीं हुई, बस उन्हे उत्सुकता रहती थी कि महिलायें अपने आसपास की उल्लेखनीय दुनिया को समझने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाएं। वे ट्रेड यूनियनों में भी सक्रिय थी। और ऐसे अनेक मौके आए जब उन्होंने हाथ में लाल झंडे लिए, कारखाने और मिल गेटों को घेरा और धरने पर बैठी।

कैप्टन लक्ष्मी की सबसे आकर्षक और प्रेरणादायक विशेषताओं में से एक ये थी कि उनमे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा लेश मात्र भी नहीं थी। आंदोलनों में कार्यकर्ता बहुत जल्द उन नेताओं को पहचान लेते हैं जिनके व्यक्तिगत लक्ष्य और महत्वाकांक्षाएं होती हैं। ऐसे नेताओं के लिए अपना सम्मान बनाए रखना मुश्किल होता है। वे संरक्षणवादी और आपा-धापी की राजनीति की कट्टर विरोधी थी, जैसा कि आजाद भारत की राजनीति के चरित्र के बारे में उनका मानना था। कैप्टन लक्ष्मी को पार्टी के भीतर और बाहर सभी तरह के कार्यकर्ता बहुत दिल से प्यार और सम्मान करते थे क्योंकि उनकी महत्वाकांक्षाओं का व्यक्तिगत इच्छाओं से कोई लेना-देना नहीं था। वे हमेशा संगठन और आंदोलन के सामूहिक लक्ष्यों को साथ लेकर चलती थी।

जब उन्होंने 2002 में ए पी जे अब्दुल कलाम के खिलाफ सी.पी.आई.एम और कई विपक्षी दलों द्वारा समर्थित संयुक्त उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति चुनाव लड़ा, वे ये चुनाव लड़ने वाली पहली महिला उम्मीदवार थी, तो उन्होंने इस मामले को पूरी तरह से राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा। उन्होंने हमसे कहा, बेशक हमारे पास जीतने का मौका नहीं है, लेकिन अगर हम धर्मनिरपेक्षता और भाजपा की राजनीति के विरोध के अपने संदेश को आगे ले जा सकते हैं, तो हम लड़ाई जीत लेंगे। ये महत्वपूर्ण सबक हैं जिन्हे हम याद करते हैं और जिन से सीख लेते हैं। उनकी पराजय उनका व्यक्तिगत नुकसान नहीं था, यह हमारे देश का नुकसान था जिसने एक ऐसी काबिल, ईमानदार, उच्च सिद्धांतों वाली महिला, और एक प्रेरणादायक इंसान को अपना पहला नागरिक बनाने का अवसर हाथ से निकाल दिया।

अपने एक साक्षात्कार में, उन्होंने एक बार कहा था कि ”स्वतंत्रता तीन रूपों में आती है -पहली शासक से राजनीतिक मुक्ति है, ’दूसरी आर्थिक मुक्ति है और तीसरी सामाजिक मुक्ति है ..... भारत ने केवल पहले प्रकार की मुक्ति हासिल की है।” यह हम पर है, उनकी क्रांतिकारी विरासत के उत्तराधिकारियों पर है, कि इन अधूरे कामों को आगे बढाएं। उनका जीवन न्याय के लिए भारतीय लोगों के संघर्ष का हिस्सा है। यह अमर है। यह कभी नहीं मरेगा।

हम उन्हे प्यार और सम्मान के साथ याद करते हैं। और एक ऐसा भारत बनाने की उनकी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने का प्रण लेते हैं जो समानता, सामाजिक न्याय और वर्ग शोषण के उन्मूलन पर आधारित हो।

कैप्टन लक्ष्मी जिंदाबाद!

23 जुलाई के कैप्टन लक्ष्मी सहगल की पुण्यतिथि पर हुये अलग अलग राज्यों के कार्यक्रमों की फोटो

Bihar

Delhi

Maharashtra

Telangana

Haryana

Madhya Pradesh

Uttar Pradesh

Uttarakhand

एडवा महिलाओं के दुखों को आवाज़ देगी

मरियम धवले

अत्यधिक गरीबी और बेबसी की देश भर से डरावनी और परेशान करने वाली कहानियां, गरीबों और हाशिये के वर्गों को अपनी जान लेने पर मजबूर कर रही हैं। महाराष्ट्र की एक आदिवासी महिला मंगला वाघ ने अपनी तीन साल की बेटी और खुद को पेड़ से लटका लिया। असम में एक प्रवासी मजदूर अपनी पंद्रह दिन की बेटी को 45,000 रुपये में बेच देता है। बिहार में रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक नन्हा सा बच्चा अपनी मृत माँ को जगाने की कोशिश करता है । देश के विभिन्न हिस्सों से भुखमरी और गरीबी के कारण होने वाली मौतें निरंतर देश के विभिन्न हिस्सों से आ रही है। सूचि अनंत है ………..

बड़े शहरों से लाखों प्रवासी अपने घरों को लौट गए हैं। वे काम की तलाश में, बेहतर जीवन की तलाश में शहरों में गए थे। उनके सपने रातोंरात गायब हो गए। सारी उम्मीदें धराशायी हो गईं। जो कुछ भी बचा था उसके अवशेष लेकर, वे भय, अनिश्चितता और निराशा से भरे वापिस लौटे। महामारी और बार बार लॉकडाउन के कारण उन्हे असाध्य पीड़ा हुई है।

व्यवस्था की हृदयहीनता पूरी तरह से उजागर हो गई। बीजेपी-आरएसएस शासन ने लोगों को पूरी तरह से निराश किया है और पीएम मोदी का बर्ताव बिल्कुल ऐसा ही है " जब रोम जल रहा था , नीरो बंसी बज रहा था" !

आज लोगों को तत्काल काम और भोजन चाहिए। गोदाम भरे हुए हैं, फिर भी लोग भूख से मर रहे रहे हैं। यह आपराधिक है कि सरकार खाद्यान्न के अतिरिक्त भंडार का इस्तेमाल लोगों को मुफ़्त मे अन्न बांटने की बजाय हाथ साफ करने का सामान बनाने के लिए कर रही है! ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत काम पूरी तरह अपर्याप्त है। अप्रैल और मई में, ग्रामीण भारत मे, अभूतपूर्व रूप मे 8.4 करोड़ श्रमिकों ने मनरेगा के तहत काम की मांग की, जो कि गहरे संकट को दर्शाता है। लेकिन, शर्मनाक रूप से, लाखों लोगों को खाली हाथ वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। सरकार को कम से कम 2,46,000 करोड़ रुपये आवंटित करने चाहिए ताकि काम मांगने वाले सभी लोगों को मिल जाए। इसके बदले उसने पूरे साल के लिए केवल 90,000 करोड़ रुपए दिए है ।

शहरों में काम ठहराव पर है। दिहाड़ीदार मजदूर, स्व-आजीविका वाले, घर-आधारित और घरेलू कामगार किसी आजीविका की तलाश में यहाँ से वहाँ दौड़ रहे हैं। घरेलू कामगारों को मई से भुगतान

नहीं किया गया है। उच्च वर्ग के परिवार जिनके लिए उन्होंने काम किया, उन्होंने उनसे मुंह मोड़ लिया है। प्रशासन सहित कोई भी आज इस स्थिति को दूर करने के लिए कोई ज़िम्मेदारी नहीं ले रहा है।

गाँवों और मुहल्लों / बस्तियों में महिलाएँ चूल्हा जलाए रखने के लिए बहुत तनाव और मानसिक आघात से गुजर रही हैं। महिलाओं पर अवैतनिक देखभाल के काम का बोझ बेहद बढ़ गया है। इसके अतिरिक्त, वे यौन हिंसा के बढ़ते मामलों की भी शिकार होती हैं। मानव तस्करी और बाल विवाह की घटनाओं में वृद्धि से महिलाओं और बच्चों की स्थिति और खराब होगी। AIDWA कार्यकर्ता महिलाओं के खामोश दर्द को अपनी आवाज़ देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।

गरीबों को बचाने के लिए सरकार को तुरंत ये कदम उठाने चाहिए। छह महीने के लिए सभी गैर-आयकर परिवारों को 10 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न और 7500 रुपये का नकद हस्तांतरण, मनरेगा का कम से कम 200 दिनों का काम सुनिश्चित करने के लिए विस्तार और बढ़ा हुआ वेतन, शहरी रोज़गार गारंटी अधिनियम का तत्काल कार्यान्वयन!

भारत सरकार ने नव-उदारवादी एजेंडा को आक्रामक ढंग से आगे बढ़ाते हुए ग़रीबों को कॉरपोरेट लूट की दया पर छोड दिया है। दलितों के खिलाफ जाति आधारित अत्याचार विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़े हैं जहां उनकी जमीन हड़पने की कोशिश की जा रही है। आदिवासियों को जंगल की भूमि में अपने अधिकारों के लिए ताजा हमलों का सामना करना पड़ रहा है। और उनकी ग्राम सभाओं के अधिकार छीने जा रहे हैं । सामाजिक उत्पीड़न और भेदभाव की इस तीव्र रूप से बढ़ोतरी का विशेष रूप से आदिवासियों, दलितों और महिलाओं के जीवन पर खतरनाक प्रभाव पड़ेगा।

सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के तेजी से विस्तार के माध्यम से सस्ती गुणवत्ता वाली चिकित्सा देखभाल प्रदान करने की दिशा मे सरकार की विफलताओं से लोगों का ध्यान हटाने के लिए, आरएसएस-बीजेपी, पूजा और हवन द्वारा " कोरोना माई की बुराई " को दूर करने के अवैज्ञानिक और तर्कहीन विचारों से लोगों को गुमराह करने की कोशिश मे जुटे हैं।

संघ परिवार और उससे जुड़ी ताकतों ने बड़े पैमाने पर अंधविश्वासों, सांप्रदायिक, परंपरावादी और प्रगतिविरोधी विश्वासों को फैलाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया है। इसका हमारे वैज्ञानिक तरीकों पर आधारित शक्तिशाली मीडिया अभियानों के माध्यम से मुकाबला किया जाना चाहिए।

एडवा लैंगिक न्याय, आलोचनातमक सोच और वैज्ञानिक प्रवृति और मूल्यों को बनाए रखने के लिए अभियान चलाएगी, ये सभी कार्य एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील भारत के निर्माण के लिए आवश्यक हैं।

प्रवासी मजदूर महिलाओं व परिवारों की सर्वेक्षण रिपोर्ट:

मधु गर्ग

उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिये कई घोषणायें की थी किंतु जब उनकी पड़ताल की गयी तो स्पष्ट हुआ कि उनका क्रियान्वयन नहीं हुआ था। हमने प्रवासी मजदूरों की सामाजिक, आर्थिक स्थिति समझने के लिये एक प्रश्नावली तैयार की थी जिसके आधार पर हमारे सर्वेक्षण में लखनऊ, मिर्जापुर , चंदौली, सुल्तानपुर, रायबरेली, बाराबंकी, बस्ती के 135 प्रवासी मजदूर परिवारों से बातचीत की गयी। 135 प्रवासी मजदूरों में 5 प्रवासी मजदूर महिलाएं थीं, 10 महिलाएं ऐसी थीं जो अपने पति के साथ शहरों में रह रहीं थीं और शेष गांव में अपने बच्चों व सास-ससुर और परिवार के साथ रहती थीं। 65-अनुसूचित जाति, 45-पिछड़ी जाति, 15-मुस्लिम, 10-सामान्य। 75 मजदूरों की उम्र-35 वर्ष से कम थी। यह भी उल्लेखनीय है कि अधिकांश मजदूर 5 साल की अवधि में ही बाहर कमाने गए थे। इनमें अधिकांश नौजवान पीढ़ी के हैं जिन्होंने प्राइमरी व मिडिल स्तर तक पढ़ाई की किंतु कोई नौकरी न मिलने या काम न मिलने के कारण गांव के या किसी रिश्तेदार के संपर्क से महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली तेलंगाना, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर गये।

काम - सिलाई, जरदोजी, वेल्डिंग, प्रेस का काम, रेडीमेड कपड़ों के कारखानों में, पीतल का काम, मैकेनिक, वेटर, सुनार, बिस्कुट कंपनी में मजदूर, घरेलू कामगार, फर्नीचर पॉलिश, प्लास्टर ऑफ पेरिस, निर्माण मजदूर, प्लंबर, पंखा फैक्ट्री में मजदूर, ड्राइवर व समुद्र में मछली पकड़ना, शटरिंग, टाइल्स लगाना, पेन्टिंग (पुताई)। 3 प्रवासी मजदूर महिलाएं पति के साथ जरदोजी का काम करती थीं। 1 महिला नोएडा में घरेलू कामगार थी और पति मजदूरी करते थे। 1 महिला बुजुर्ग मरीज की देखभाल करती थी।

85 कुशल मजदूर शेष, अकुशल मजदूर थे। 90 प्रतिशत प्रवासी मजदूरों का कहना था कि वे ठेकेदार के मातहत काम करते हैं। शहरों में उनकी औसत आमदनी 10000 से 12000 रूपये है। वे गांव में 5000 से 6000 रूपये तक भेजते थे। गांव में अधिकांश परिवार भूमिहीन हैं या 1 बिसंवा से लेकर 2 बीघा तक जमीन है। भूमिहीन परिवार की महिलाएं भी खेत मजदूर हैं। भूमिहीन परिवार बंटाई पर खेती कर लेते हैं या खेतों में खेतीहर मजदूर हैं। 8 परिवार ऐसे थे जो परचून की दुकान या दर्जी का काम गांव में ही करते थे। प्रवासी मजदूर परिवार की महिलाओं ने बताया कि पिछले 5 महीने से बाहर से आने वाली आमदनी बंद है और गांव में काम न मिलने के कारण अभी बहुत परेशानी आ गई है।

वापस आने का साधन - अधिकांश मजदूर 5 मई 20 से 5 जून 20 के बीच वापस आये हैं। हमारे सर्वेक्षण में 27 मजदूर या मजदूर परिवार मिले जो मुफ्त में ट्रेन और बस से वापस आए थे, शेष ने 1000 से लेकर 12000 रूपये तक खर्च किये वापस अपने गांव आने के लिये। 9 लोग मोटर साइकिल से, 36 साइकिल व 17 लोग पैदल बस्ती, सुल्तानपुर व मिर्जापुर के गांवों में पंहुचे। सरकार ने ट्रेन की बुकिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने का ऐलान किया था किंतु 50 प्रतिशत मजदूरों के पास स्मार्टफोन नहीं थे या यदि उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया भी तो 10 से 15 दिन इंतजार के बाद भी कोई संदेश न मिला तो वे पैदल, ट्रक, वैन कंटेनर, साइकिल जो भी साधन मिला उससे वह चल दिये।

लॉकडाउन ऐलान होने के बाद - 24 मार्च 20 को लॉकडाउन की घोषणा के बाद फैक्ट्री व ठेकेदार के अंडर में काम करने वालों को मार्च महीने का पैसा मिला किंतु रोज कमाने खाने वालों (प्रेस का काम करने वाले एवं निर्माण मजदूर) के सामने बहुत बड़ा संकट आ गया। अप्रैल माह में कुछ अपनी बचत या घर से मंगाकर काम चलाया कि कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा किंतु जब 3 मई 20 को पुनः लॉकडाउन बढ़ने का ऐलान हुआ तो उनके सामने गांव लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। मकान मालिक किराया न देने की स्थिति में घर खाली करने को कहने लगे। सरकार द्वारा बहुत मुश्किल से दिन में एक बार ही कभी-कभी 3 से 4 पूरी का पैकेट मिलता था। हमें 4 प्रवासी मजदूर

पुरुष और महिलाएं ऐसी मिली जो हैदराबाद में बुटीक कढ़ाई का काम करते थे जिनकी मालकिन ने खाने-पीने, रहने व वापस लौटने का इंतजाम किया।

गाँव का व्यवहार: कोरोना की आड़ में नफरत - घर लौटने पर अधिकांश ने बताया कि गांव वालों का व्यवहार उनके साथ सामान्य नहीं था। वे बीमारी को लेकर सशंकित रहते थे और प्रवासी मजदूरों के गांव में रहने वाले परिवारों से भी दूरी बनाते थे। कोरोना की आड़ में 'मुस्लिम' प्रवासी मजदूरों व उनके परिवारों के साथ बहुत भेदभाव पूर्ण व्यवहार किया गया जैसे लखनऊ के एक गांव में मुस्लिम प्रवासी मजदूर की परिवार की परचून की दुकान 3 महीने ग्राहकों के न आने के कारण बंद हो गई घर की महिला चूड़ी पहनाने का काम करती थी उनकी चूड़ी लेने व पहनने से इनकार कर दिया गया, यदि सब्जी बेचते थे तो सब्जियों के ठेले सड़ गए किंतु सब्जी नहीं ली, यदि दर्जी हैं तो कपड़े सिलवाने बंद कर दिये कि उनके सिले कपड़े से कोरोना हो जाएगा। उन्हें 'कोरोना' कहकर बुलाया जाता था।

क्वारंटीन में 14 से 21 दिन रखा गया। 60 मजदूर स्कूल में रहे और शेष घर में ही क्वारंटीन में रहे। एक उल्लेखनीय तथ्य है कि एक भी प्रवासी मजदूर ने नहीं बताया कि उन्हें एक बार क्वारंटीन सेंटर में खाना मिला, सभी का खाना घर से आया। मजदूरों ने बताया कि 2 दिन तक तो उन्होंने प्रधान को खाने के लिए फोन किया किंतु जब पूरे दिन इंतजार के बाद शाम को बहुत खराब खाना मिला तो वह घर से ही मंगाने लगे।

मजदूर महिलाओं और परिवार की महिलाओं ने कहा कि वे अपने पति या पिता या वे स्वयं अपने गांव में आने से बहुत खुश हैं बस उन्हें नियमित काम मिल जाये। यदि शहर से कम पैसों में भी काम मिले तो यही गांव में रहने को तैयार हैं। एक उल्लेखनीय तथ्य है कि महिलाएं व बच्चे शहर की चकाचैंध के बाद भी शहर वापस नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि उनका कहना था कि वे मुंबई, दिल्ली, गुजरात जैसे शहरों में नारकीय जीवन जी रहे थे। गंदी बस्तियों में अंधेरी कोठरियां, पानी और शोंच की उचित सुविधा न होने के कारण हर दिन उन्हें बहुत तकलीफ झेलनी होती थी।
अधिकांश परिवार भूमिहीन हैं। यदि किसी के पास थोड़ी खेती है तो भी वह शहर से भेजे जाने वाले पैसे से चलती थी और पैसा न होने से बड़ा संकट है। कुछ महिलाओं ने दबे स्वरों में कहा कि अभी तो विवाद नहीं है किंतु आगे भी काम न मिला तो परिवार के इतने सदस्यों के बढ़ जाने के बाद खर्च नहीं चल पाएगा।

गाँव में काम - 45 प्रवासी मजदूरों ने मनरेगा में 10 से 15 दिन काम किया जिनमें से अभी केवल 15 मजदूरों को मनरेगा भुगतान मिला है। अब काम भी नहीं मिल रहा है। मनरेगा में निर्माण मजदूर काम

कर लेते हैं किंतु अन्य काम करने वाले लोग मनरेगा में काम करने के लिए अपने को असमर्थ पाते हैं। प्रेस का काम करने वालों ने 2 दिन काम किया किंतु फिर वे आगे नहीं कर पाये।

सरकार का दावा है कि 30.47 लाख प्रवासी मजदूरों की स्किल मैपिंग व 15 लाख लोंगों को आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम में रोजगार दिया गया है। हमारे सर्वेक्षण में एक भी व्यक्ति को मनरेगा के अतिरिक्त कहीं काम नहीं मिला। 'बस्ती' जनपद उत्तर प्रदेश सरकार के रोजगार कार्यक्रम में चयनित हैं किंतु वहां भी सर्वेक्षण में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसे रोजगार मिला है। यह पता लगा कि बैंकों की सूची दी जा रही है वहां से लोन मिलेगा।

राशन - उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि 13,64,683 राशन किट्स (35 किलो) राशन प्रवासी मजदूरों को दी गई। हमारे सर्वेक्षण 17 प्रवासी मजदूरों को राशन किट्स मिलीं। सार्वजनिक राशन प्रणाली के द्वारा हर महीने परिवार को राशन मिला किंतु राशन कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों के नाम नहीं जुड़े हैं अतः राशन की मात्रा कम हो गई। 10 मजदूरों के पास राशन कार्ड नहीं था। सरकार का दावा है कि प्रवासी मजदूरों के प्रति परिवार 1000 रूपये दिया गया और इस प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार ने 337.74 करोड़ रुपए 33.77 लाख लोगों को खाते में दिए। हमारे सर्वेक्षण में केवल 4 प्रवासी मजदूरों के खाते में 1000 रूपये (16.07.2020) तक आए थे।

प्रवासी मजदूरों की मेडिकल जांच सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर हुई। सभी प्रवासी मजदूर अपने ही जिले में नियमित रोजगार चाहते हैं। वे वापस नहीं जाना चाहते किंतु यदि काम नहीं मिलेगा तो वे निश्चित रूप से वापस जायेंगे। यद्यपि यह एक छोटा सा सर्वे है किंतु इससे उत्तर प्रदेश सरकार के दावों की पर्दाफाश हो जाता है।

सीबीएसई बोर्ड द्वारा पाठ्यक्रम मे 30% कटौती मंजूर नहीं:

मनजीत राठी

शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए कक्षा 9 से 12 के लगभग 190 विषयों मे 30 प्रतिषत की कटौती का फैसला सीबीएसई बोर्ड ने यह कहकर किया है कि वे कोरोना महामारी के चलते मौजूदा स्वास्थ्य आपात स्थिति मे छात्रों के परीक्षा संबंधी तनाव और learning gap को यानि सीखने से जुड़ी असमानताओं को कम करना है। असली उद्देश्य तो कुछ और ही मालूम पड रहा है।

एक नजर उन प्रमुख विषयों पर डालें जो सिलेबस से हटा दिए गए हैं - बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड हुए डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, CBSE द्वारा कक्षा 9 में सोशल साइंस से हटाए गए पांच चैप्टर्स में “लोकतांत्रिक अधिकार और भारत में खाद्य सुरक्षा शामिल हैं।

10 वीं कक्षा के सोशल साइंस सबजेक्ट से लोकतांत्रिक राजनीति के चार अध्याय- लोकतंत्र और विविधता, लिंग, धर्म और जाति,लोकप्रिय संघर्ष और आंदोलन और लोकतंत्र के लिए चुनौतियां को पूरी तरह से हटाया गया है।

11 वीं कक्षा के लिए हटाए गए हिस्सों में संघवाद, नागरिकता, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता और भारत में स्थानीय सरकारों के विकास से संबंधित पाठ शामिल हैं। इसी कक्षा के समाजशास्त्र पाठ्यक्रम से अनुसंधान विधि को हटा दिया है जो समाजशास्त्र, मास मीडिया और संचार के अध्ययन की रीढ़ है। साथ ही, किसान, जमींदार और राज्य, बंटवारे, विभाजन और देश में विद्रोह पर सेक्शन- द बॉम्बे डेक्कन और द डेक्कन रायट्स कमिशन जो कि साहुकारों के खिलाफ किसानों के आंदोलन पर आधारित हैं, को हटा दिया गया है।

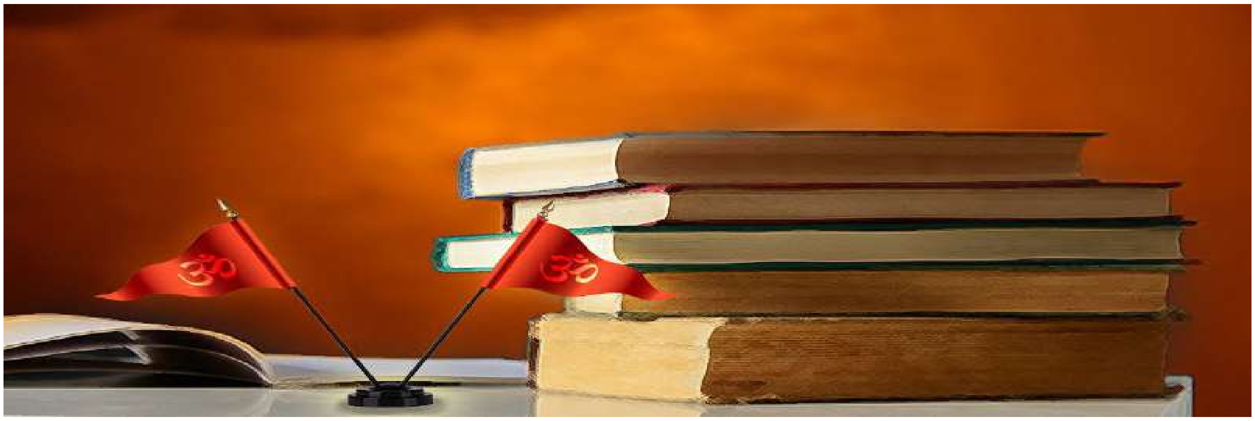

अंडरस्टेंडिंग पार्टीशन भारत विभाजन की समझ को कक्षा 12 पाठ्यक्रम से हटाया गया है। इसी तरह, भारत के अपने पड़ोसियों- पाकिस्तान, म्यामांर, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के साथ संबंध, भारत के आर्थिक विकास की बदलती प्रकृति, भारत में सामाजिक आंदोलन और नोटबंदी सहित अन्य विषय अब नहीं पढ़ने होंगे। हिन्दी के विषय से निराला, केदारनाथ, सिंह, भीष्म साहनी, राम विलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नजीर अकबराबादी, हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, रवींद्र नाथ ठाकुर जैसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त साहित्यकारों की रचनाएं हटा दी गई हैं। इनके बगैर, हिन्दी साहित्य के बारे मे सोचा भी नहीं जा सकता है।

कक्षा 11 और 12 के गणित में मैथेमेटिकल इंडक्शन सिद्धांत और मैथेमेटिकल रीजनिंग को पूरी तरह से हटा दिया गया है।

12वीं कक्षा के जीव विज्ञान विषय की पाठ संख्या 7 को हटाया गया है जिसमे जीव विज्ञान के विकास, डार्विन के योगदान आदि विषय शामिल हैं। वैज्ञानिक चेतना के वाहक चद्रशेखर वेंकट रमन का पाठ भी हटा दिया गया है।

उपरोक्त हटाए गए सिलेबस के पैटर्न से सरकार की नियत बिल्कुल साफ है। यह सीधे सीधे कोविद-19 के संकट की आड़ मे शिक्षा का साम्प्रदायिकीकरण और हिन्दुत्व का एजेंडा आगे बढ़ाने की साजिश है। लोकतान्त्रिक राजनीति और प्रणाली से जुड़े सभी विषय का सफाया, संघवाद, नागरिकता, धर्मनिरपेक्षेता, वैज्ञानिक सोच और पद्दति से जुड़े पाठ हटाना मौजूदा सरकार की लोकतंत्र विरोधी मानसिकता और गैर-वैज्ञानिक नजरिए को स्पष्ट करता है। युवा बच्चों के रचनात्मक दिल दिमागों मे जनतान्त्रिक अधिकारों के प्रति शत्रुता और तानाशाही के प्रति समर्थन का बीज बोया जा रहा है। नई शिक्षा नीति के तहत पहले ही शिक्षा के केन्द्रीकरण की कोशिशें जारी है, अब इन किशोर विद्यार्थियों को नागरिकों के जनतान्त्रिक अधिकारों से संबंधित किसी भी प्रकार की बुनियादी जानकारी से भी वंचित किया जा रहा है । ना रहेगा बांस, ना बजेगी बाँसुरी! ना ये किशोर लोकतंत्र के बार मे पढ़ेंगे और न ही लोकतान्त्रिक अधिकारों की बात करेंगे!

इस फैसले पर शिक्षाकर्मियों से लेकर सियासत तक हर क्षेत्र मे सवाल उठने के बाद अब CBSE की तरफ से सफाई जारी की गई है, कि ऐसा सिर्फ 2020-21 सत्र के लिए किया गया है. 2020-21 की परीक्षाओं में इन टॉपिक से जुड़े सवाल नहीं पूछे जाएंगे. साथ ही स्कूलों को ये निर्देश दिया गया था कि NCERT की तरफ से जारी अल्टरनेटिव अकेडमिक कैलेंडर का पालन किया जाए और ये सभी चेप्टर कवर किए गए हैं।

सरकार अपने एजेंडे की पूर्ति की ओर दो कदम आगे और फिर विरोध का सामना करने पर एक कदम पीछे चलने की कार्यनीति अपनाती दिख रही है। शिक्षा के क्षेत्र मे उसकी यह कार्यनीति विनाशकारी साबित होगी।

कवि, क्रांतिकारी, मानव अधिकार योद्धा वरवरा राव की जेल मे लिखे लेख के कुछ अंश

(अनुवादः संपादक)

नवंबर 2019 मे, येरवाड़ा जेल मे वरवरा राव ने जो लंबा लेख लिखा उसके कुछ अंश उनकी एक कविता के साथ पेश है। (इसके बाद उन्हे भीमा-कोरेगांव मामले मे गिरफ्तार अन्य साथियों के साथ तलोजा जेल भेज दिया गया था।) लगातार उनकी जमानत की अर्जी को खारिज किया गया और जब उन्हे कोरोना हो गया तो उन्हे अस्पताल स्थानांतरित करने की मांग देश भर से उठी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी हस्तक्षेप किया और उन्हे अस्पताल मे भर्ती कर दिया गया है जहां उनकी हालत काफी नाजुक है। इसके बावजूद, एन आई ए ने कोर्ट के सामने यह बेहुदा बयान दिया की वर्वर राव अपनी बीमारी का बहाना बनाकर जेल से छूटने का प्रयास कर रहे हैं। यह पूरा प्रकरण बताता है कि केंद्र की सरकार किस तरह से एन आई ए जैसी केंद्रीय संस्था का इस्तेमाल अपने कटु आलोचकों का उत्पीड़न करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। दिल्ली मे भी केंद्र सरकार छात्रों, छात्राओं और कार्यकर्ताओं के साथ भी यही कर रही है। उत्तर प्रदेष की योगी सरकार भी लगातार अल्पसंख्यकों, बुद्धिजीवियों और कार्यकर्ताओं का जबर्दस्त उत्पीड़न मे जुटी हुई है।

'...27 नवंबर को मुझे कोर्ट मे हाजिर किया गया और रात को न्यायिक हिरासत मे भेज दिया गया। मुझे 'बाद मे' नामक जगह, जो सर्दियों मे नारकीय होती है, मे रखने के बाद, 28 की सुबह 'फांसी वार्ड' भेज दिया गया जहां मुंबई के मेरे एक सह-अभियुक्त 28 अक्तूबर, 2018 से रखे गए थे। मुझे उसके बगल मे कोठरी नंबर 20 मे रखा गया, आखरी कोठरी जहां से फांसी के तख्ते का पाया हमेशा नजर आता है... हालांकि उम्र कैद पाने वाले और एकाध जिनका मामला चल ही रहा था आते जाते रहते हैं, फांसी पाने वालों की संख्या हमेशा 20 की रहती है। इनमे से दो 45-50 वर्षीय मुस्लिम राजनैतिक कैदी हैं जिनको फर्जी तौर पर 2008 के मुंबई ट्रेन ब्लास्ट मामले मे लिप्त पाया गया है। बाकी, गैर-

राजनैतिक कैदियों मे अधिकतर दलित, पीड़ित जातियों के लोग हैं, गरीब, अति गरीब, ... उनमे से ज्यादा तर निर्दोष हैं। उनको उन लोगों की जगह फंसाया गया है जो न्यायिक प्रणाली को प्रभावित करने मे सक्षम थे... सभी, एकाध अपवाद के साथ, 25 से 35 साल के हैं।

इस ब्लाक मे, जिसका नाम अब औपचारिक तौर पर, सुरक्षा ब्लाक 1 रखा गया है, यह नौजवान जो अंग्रेजी सीख रहे हैं, वॉलीबॉल, कैरम और चेस सीख रहे हैं, और कारीगिरी, गाने और संगीत मे अद्धभूत प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं, वे ही मेरे सबसे बड़ी ताकत है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक की फांसी की सजा निरस्त कर दी तो उसने जियो और जीने दो की प्रबल भावना से प्रेरित होकर उसने इस उम्मीद के साथ कि उसका सुधार मुमकिन है, कविता लिखनी शुरू कर दी। लेकिन अब लगता है की समाज, प्रणाली और संसद का यह रवैया कि कानून को और सख्त बनाया जाये अब न्यायपालिका मे प्रतिबिम्बित हो रहा है और इसका समाधान फांसी की सजा सुनाकर ही होगा।
एक लेखक और अधिकारो के कार्यकर्ता की हैसियत से मैं मृत्यु दंड के खिलाफ हुँ।

मेरा पूरा विश्वास मनुष्य, खास तौर से पीड़ित युवकों, के सुधार मे है। मैं अपने जेल के साथियों मे पाता हुँ कि वे दूसरों के साथ अपने तमाम रिश्तों मे बहुत ही मानवीय हैं। मेरे लिए, मेरी मुकब्लातन कम दिनो की 10 माह की गिरफतारी तब शून्य के बराबर हो जाती है जब मैं देखता हुँ कि वे जो इस ब्लाक से बाहर सालों से नहीं जा पाये हैं, हँसते हुए जीते हैं, चाहे वह अपनी एकांत की रातें कैसे भी गुजारते हों। इससे मुझे बहुत ताकत मिलती है। मैं उस उम्मीद की कल्पना करता हुँ जिसके लिए वे जीते हैं। गले मे पड़े फंदे के बावजूद उन्हे अंधेरी सुरंग के आगे उम्मीद की किरण दिखाई देती हैं। यही मेरा दैनिक आक्सीजन है, साहित्य और किताबों के अलावा...वे संवेदनशील इंसान हैं, मांस और खून से निर्मित...

पुनर्विचार
(वरवरा राव की मशहुर कविता)

मैने बारूद मुहैया नहीं की थी
और विचार भी नहीं
वह तुम थे जिसने चींटियों की बस्ती को
लोहे की एड़ियों से रौंदा था
और उस कुचली हुई धरती से
बदले के विचारो के अंकुर फूटे थे

मधुमक्खियों के छत्ते को
अपनी लाठी से मारा था
और बिखरती मधुमक्खियों का शोर
तुम्हारे हिले चुके ढांचे मे विस्फोटित हुआ
जो भय से लाल था

जब जनता के दिल मे
विजय का डमरू बजने लगा
तुम्हे गलत फहमी हुई कि यह एक इंसान है और उस पर तुमने अपनी बंदूके तान ली
हर क्षितिज से क्रान्ति गूंजने लगी

मनुस्मृति मे महिलाओं का दर्जा:

नम्रता सिंह,
('प्राचीन संस्कृत पाठों (टेक्स्ट) मे लिंग' विषय पर पीएचडी कर रही छात्रा)

भारतीय शास्त्रों मे सबसे अधिक पढ़ा जाने वाला और सबसे कुख्यात शास्त्र मनुस्मृति है। वर्तमान हिन्दू धर्म मे उसकी प्राथमिकता के दो कारण हैं। ब्रिटिश प्रशासकों द्वारा सबसे पहले भगवद्गीता और मनुस्मृति का अनुवाद संस्कृत से अंग्रेजी मे किया गया था और ब्रिटिश प्रशासकों ने मनुस्मृति का इस्तेमाल हिंदुओं के बीच कानूनी विवादों को तय करने के लिए कानून की पोथी के रूप मे किया था। अनुवादक, एन बी हलहेड ने ईस्ट इंडिया कंपनी को वेदों की नैतिक प्रणाली की पुनर्स्थापना करने वाली और भारत के मुस्लिम शासकों की तानाशाही से मुक्त करने वाली संस्था के रूप मे प्रस्तुत किया। इस तरह के दृष्टिकोण के माध्यम से, जिसे 'ओरिएंटलिज्म' कहा जाता है, हिंदुओं को एक एकताबद्ध समूह के रूप मे और मनुस्मृति (और थोड़े और पाठ) को तमाम हिंदुओं के लिए अनिवार्य धार्मिक ग्रंथ के रूप मे पेश किया गया हालांकि हिन्दू सोच की विभिन्न धाराओं ने जिनमे तमाम भक्ति पंथ और मान्यताएँ शामिल थी और वे धर्मशास्त्रों की आधिकारिक भूमिका को नहीं मानते थे।

इसके अलावा, हिन्दू सोच के अंतर्गत धर्म एक केंद्रीय मान्यता के रूप मे प्राचीन भारत मे बौद्ध सोच के विकास के बाद ही उभर के आया। कई विद्वानों का मानना है की धर्म की सोच को महत्व देने का काम मौर्य साम्राज्य (दूसरी सदी,बीसी) की प्रतिक्रिया के रूप मे किया गया था। इस साम्राज्य ने ब्राह्मणो के शासक वर्ग के स्वाभाविक सलाहकार होने के अधिकार को चुनौती दी थी। उदाहरणतः

सम्राट अशोक ने जानवरों की बली चढ़ाये जाने की प्रथा को अवैध घोषित कर दिया था। ऐसा करके उन्होने ब्राह्मणो की आवश्यकता को ही समाप्त कर दिया था क्योंकि उनका वर्चस्व तो इस बात पर आधारित था की वे ही, अकेले, बली और शुद्धि की रीति-रिवाज के क्रियान्वयन का अधिकार रखते थे। यही नहीं, उस समय का ब्राह्मण साहित्य मौर्य और नन्द राजाओं के शूद्र होने की बात करते हैं। राजाओं की भूमिका को नीच जातियों के लोगों द्वारा तथाकथित रूप से हथियाना और यज्ञ व राज-सलाहकारी के क्षेत्र मे ब्राह्मणो के उत्तराधिकारों का समाप्त होना, इन दोनो प्रक्रियाओं का नतीजा यह हुआ कि अपने राजनैतिक, परंपरागत, और ज्ञान के क्षेत्र मे अधिकारो को फिर से हासिल करने के लिए ब्राह्मणो की व्याकुलता इन ग्रंथो मे दिखाई देती है।

ब्राह्मण जाति के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए, एक दूसरे से बिलकुल अलग रहने वाली जातियों की कठोर प्रणाली आवश्यक है। अगर अंतर-जातीय सम्बन्धों के चलते, जातियों का मिश्रण हो जाएगा तब एक पर दूसरे का वर्चस्व और अधिकार समाप्त हो जाएगा। ब्राह्मणो के वर्चस्व को सुरक्षित रखने के लिए, ब्राह्मण जाति की पवित्रता को बनाए रखना अनिवार्य है। चूंकि जाति की पहचान किसी विशेष पारिवारिक समूह मे जन्म लेने से तय होती है इसलिए महिला का शरीर जो जनन का क्षेत्र है, का महत्व केवल बच्चे के शरीर को जन्म देने के कारण ही नहीं बल्कि उसकी सामाजिक पहचान को जन्म देने के लिए भी है। यह सामाजिक पहचान बच्चे के पिता की होती है। जिस तरह से पिता की जायदाद के उत्तराधिकारी उसकी वैध औलाद ही हो सकती है जिसकी वजह से, एंगेल्स के मुताबिक, निजी संपत्ति के उदय के बाद महिलाओं पर नियंत्रण बढ़ता ही चला गया, उसी तरह वेदों के बाद के काल मे (और वर्तमान भारत के कई हिस्सों मे भी) जाति की पहचान एक तरह की सामाजिक विरासत के रूप मे देखी जाती है जिसकी वैदता को बनाए रखने के लिए भी लैंगिक नियंत्रण आवश्यक है। संतान की पवित्र जाति पहचान के खो जाने की संभावना धार्मिक नियम के लिए खतरा है। अगर जाति पहचान ही पूरी तरह से बनी नहीं रहेंगी तो हर जाति की सामाजिक-धार्मिक कर्तव्यों के बारे मे नियमो का क्रियान्वयन भी संभव नहीं होगा।

इसलिए मनुस्मृति मे महिलाओं के शरीर पर नियंत्रण रखने की जरूरत को सीधे तौर पर कहा गया है। इसका असर उसी समय के महाभारत जैसे ग्रंथो मे भी दिखाई देता है जो महिलाओं के बारे मे मनुस्मृति जैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मनु की घोषणा कि महिलाओं को कभी स्वतंत्र नहीं होना चाहिए बहुत ही कुख्यात है। 'बचपन मे उसे अपने पिता के नियंत्रण मे रहना होगा, यौवन मे अपने पति के और जब उसके पति का देहांत हो जाता है, तो अपने पुत्रो के'। (मनुस्मृति 5.146-149) मनुस्मृति की महिलाओं के नियंत्रण के बारे मे एक अन्य, और बहुत प्रभावशाली, धार्मिक चर्चा इस प्रकार है '(महिलाएं) खूबसूरती की कोई परवाह नहीं करतीं, उम्र कि भी परवाह नहीं करतीं, वह चाहे खूबसूरत

हो या बदसूरत, वह उसके साथ यह सोच कर संभोग करती हैं 'यह पुरुष है!' बदचलनी, चंचल मानसिकता और कठोर ह्रदय उनकी जन्मजात विशेषताएँ हैं। यह इसलिए अगर उनकी इस दुनिया मे ध्यानपूर्वक चैकीदारी की जाती है तो वे अपने पतियों से दुश्मनी करने लगती हैं। प्रजापति द्वारा दुनिया के बनाए जाने के बाद से ही उनका यह स्वभाव है इसलिए पुरुषों को उनकी चैकीदारी करने का भरसक प्रयास करना चाहिए।' (मनुस्मृति 9.14-16)।

इस तरह, महिलाओं को उनके अपने अंदर निहित बदचलनी के स्वभाव के कारण नियंत्रण मे रखना आवश्यक है वरना वे मौजूद सामाजिक प्रणाली को ही उलट डालेंगी। कुछ विद्वानों ने कहा है कि वही मनुस्मृति जो महिलाओं को उनके यौन नियंत्रण के अभाव और चालाकी के लिए कोसती है, वही मनुस्मृति उनकी भूर भूर प्रशंसा करती है जब वह उनकी मां की भूमिका या परिवार के परिवेश मे बात करता है। उदाहरणतः मनु कहते हैं 'जहां महिला की पूजा होती है, वहाँ देवता खुशियाँ मनाते हैं...जहां महिला रिश्तेदार विलाप करती है उस परिवार का जल्दी नाश होता है।' (मनुस्मृति 3.56-58)। लेकिन यह सकरात्मक मालूम होने वाले विचार, जैसे 'श्रद्धा' और 'रक्षा' के साथ कुछ समस्याएँ जुड़ी हुई हैं। दोनों का संबंध अलग रखने और निगरानी मे रखने से भी होता है। बल्कि, संस्कृत का शब्द 'रक्षण' का अक्सर अनुवाद protection के साथ साथ custody (हिरासत) से होता है। इस उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि किस तरह सुरक्षा, श्रद्धा और घरेलूपन जैसे सकरात्मक आदर्शो की कई परिभाषाएँ होती है खास तौर से उस संदर्भ मे जहां महिलाओं को सामाजिक स्वतंत्रताओं से वंचित रखा जाता है। जिन बातों को मनु के लिंगवादी होने की भूमिका को चुनौती देने के लिए पेश किए जाते हैं उनमे और मनु की असलियत के बीच मुझे कोई अंतर्विरोध दिखाई नहीं देता है। दरअसल,

महिलाओं के लिए कौन सी सामाजिक भूमिकाएँ उपयुक्त हैं, मनु के इस विस्तृत विमर्श की यह बातें पूरक हैं।

पारिवारिक सम्बन्धों पर मनु के विमर्श का एक अन्य दिलचस्प हिस्सा है महिला के संबंध। पहली है ऊंची जाति की महिलाओं का नीची जाति के पुरुषों के साथ यौन-संबंधो की उग्र आलोचना। ऊंची जाति के पुरुषों और नीची जाति की महिलाओं के बीच सम्बन्धों के प्रति उनका उदार रवैय्या इस मसले को काफी पेचीदा बना देता है। इस तरह, एक शूद्र पुरुष और एक ब्राह्मण महिला के बीच संबंध सामाजिक सामंजस्य के लिए खतरे के रूप मे नजर आता है। एक ब्राह्मण पुरुष और एक शूद्र महिला के बीच यौन संबंध को बर्दाश्त किया जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि मनु के महिला की निगरानी से संबन्धित बहुत सारे उपदेश, उनके दिमाग मे, नीच जाति की महिलाओं के लिए नहीं हैं। जिस तरह से एक ब्राह्मण किसी शूद्र के घर से कोई भी वस्तु उठाकर ले सकता है, वैसे ही वह शूद्र महिला को अपनी पत्नी बनाने का भी अधिकार रखता है।

यहाँ हम देख सकते हैं कि लिंग और जाति विभिन्न तरह से एक दूसरे के साथ मिलकर उत्पीड़न के तमाम आधार तयार करते हैं। कई भौतिक वस्तुओं मे एक के रूप मे जो अपने पति की संपत्ति है के रूप मे महिला की प्रस्तावना की जाती है। लेकिन नीच जाति की महिला एक ऐसी भौतिक वस्तु है जो अपने पति की संपत्ति होने के साथ साथ उच्च जाति कि महिलाओं और पुरुषों की भी संपत्ति है। इसलिए, प्राचीन भारत मे और वर्तमान भारत मे भी, लिंगवाद की समस्या को पुरुषो और महिलाओं के बीच के संघर्ष के रूप मे नहीं देखा जा सकता है। जिन अनगिनत और लैंगिक तरीकों से उन्होने नीची जाति की महिलाओं के साथ व्यवहार किया है, उसकी जिम्मेदारी उच्च जाति की महिलाओं को भी स्वीकार करना होगा। इसके साथ ही, यह भी सही है कि भारतीय संदर्भ मे बिना जाति की समीक्षा को साथ मे किए, लैंगिक उत्पीड़न को समझना नामुमकिन है।

(मनुस्मृति का जो संस्करण इस्तेमाल किया गया है वह है: पीऔलिवेल *Manu*s Code of law* OUP1⁄2)

योगी राज का असली चेहरा

सुभाषिनी अली (न्यूजक्लिक से साभार)

कुछ दिन पहले ही मुझसे किसी ने पूछा - उत्तर प्रदेश का असली चेहरा कैसा है? मैं काफी देर तक सोचती रही। बहुत सारे चेहरे मेरी नजरों के सामने घूम रहे थे - कुछ भयावह थे कुछ बड़े कांया कुछ नेक और कई परेशान, कुछ खुश और कई निराश। यह तमाम चेहरे और इनके अलावा बहुत से अन्य

चेहरे घूमते रहे मेरी नजरों के सामने और मैं उस सवाल का उत्तर दे ही नहीं पाई। बस कह दिया, प्रदेश का चेहरा दागदार है।

4 तारीख को (4 जुलाई, 2020), उत्तर प्रदेश का असली चेहरा मेरी नजरों के सामने आया और वहीं टिक गया। एक मासूम महिला का चेहरा जो बिलकुल कमसिन लड़की लगती है। लेकिन वह एक पाँच साल की बच्ची की माँ है, एक दिव्यांग पुरुष की पत्नी। है नहीं, थी।

चेहरा आयुषी का है। आयुषी, एक 32 साल की महिला जिसने 3 जुलाई की शाम को अपने कानपुर के श्याम नगर स्थित मायके के पास पी ए सी की क्रासिंग पर, रेलगाड़ी की पटरियों अपनी जान दे दी।

उसकी हताशा, उसकी लाचारी किस हद तक पहुँच गयी होगी कि उस पति और बच्ची का मोह भी उसे जीवन की ओर नहीं खींच पाया जिनकी अथक सेवा उसने पिछले कई वर्षों से की थी। उसको कैसी मायूसी ने घेरा होगा कि उसने अपना मन मारकर अपने आप को ही मार डाला।

उसकी तस्वीर 4 तारीख की सुबह मेरे फोन पर दिखी। उसके नीचे एक अच्छे मित्र और ट्रेड यूनियन के नेता, दिनकर कपूर, का संदेश था। यह आयुषी है। इसने आत्महत्या की है। इसका शव कानपुर के चीर घर (पोस्टमार्टम हाउस) पहुँच गया है लेकिन वहाँ बहुत समय लग रहा है। उसके परिवार के लोगों की कोई सुन नही रहा है। वह रो रोकर बेहाल हो रहे हैं। कृपया उनकी मदद कीजिये। खैर, जो बन पाया, किया। उसका पोस्टमार्टम हो गया। कुछ घंटों में उसके अंतिम संस्कार भी पूरे कर दिये गए और अग्नि से उसके पार्थिव शरीर का जो कुछ भी बचा, उसे गंगा मैया की शीतल गोद मे समा दिया गया।

आयुषी उत्तर प्रदेश की 181 नंबर की हेल्पलाइन मे 2017 से काम कर रही थी। नौकरी पाने के लिए समाज शास्त्र मे स्नातक होना और समाज सेवा का कुछ अनुभव अनिवार्य था। आयुषी एक पढ़ी लिखी महिला थी और उसे यह नौकरी मिल गयी। उसकी पोस्टिंग उन्नाव मे हुई। वह अपने पति और बच्ची को छोड़ के नहीं जा सकती थी। दैनिक यात्री भी नही बन सकती थी तो उसने उन्नाव मे एक छोटा कमरा किराया पर लिया और वहाँ पति और बच्ची के साथ रहने लगी।

181 की नौकरी चैबीस घंटों की नौकरी है। काउंसिलिंग करने वाली हर महिला को दिन भर पूरी ड्यूटी अपने कार्यालय मे देने के बाद, अपना फोन हर वक्त खुला रखना पड़ता है। कभी भी कॉल आ सकती है। उसको रिसीव करके, परेशान महिला की बात सुनकर उसको समझाना है। अगर मामला गंभीर है तो हस्तक्षेप भी करना है। इस कड़ी ड्यूटी को पूरा करते हुए, आयुषी अपने पति और बच्ची की पूरी देखभाल भी करती थी, अपने छोटी सी गृहस्थी को जिंदा रखती थी।

181 हेल्पलाइन की सेवा 2016 में 'निर्भया कांड' के बाद देश के कई हिस्सों के साथ, उत्तर प्रदेश के 11 जिलों मे शुरू की गयी थी। जिन महिलाओं को इस काम के लिए भर्ती किया गया उनको प्रशिक्षण देने के बाद, 8 मार्च, अंतराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर, इस योजना का जोर शोर से उदघाटन किया गया था। योजना का खर्च केंद्र और राज्य की सरकार की जिम्मेदारी थी लेकिन उसको चलाने के लिए एक निजी कंपनी, जी वी के ई एम आर आई के साथ समझौता किया गया जो कॉल सेंटर के क्षेत्र मे निपुण मानी जाती थी। इसी कंपनी को 180 और 102 नंबरों के एंबुलेंस और इमरजेंसी मेटरनिटी काल सेंटर को चलाने का ठेका भी दिया गया है।

2017 मे इस योजना को उत्तर प्रदेश के हर जिले मे शुरू कर दिया गया। हर जिले मे 'आशा ज्योति केंद्र' ('निर्भया' का नाम ज्योति था और उसकी माँ का, आशा है) खोले गए जिनमें इस कॉल सेंटर को भी जगह दी गयी। इन केन्द्रों का नाम बाद में 'रानी लक्ष्मीबाई आशा ज्योति केंद्र' रखा गया है।) इन केन्द्रों में परेशान, पीड़ित महिलाओं के लिए अस्थाई संरक्षण गृह बनाया गया जिसमें 5 बिस्तर रखे गए। महिलाएं यहाँ केवल 5 दिन के लिए ही रुक सकती हैं। इन केन्द्रों मे पुलिस चैकी भी बनाई गयी।

केंद्र में सबसे महत्वपूर्ण काम 181 हेल्पलाइन की महिला काउंसलर का ही था। उनके पास ही परेशान और पीड़ित महिलाओं के फोन आते थे। वे उनसे बात करके उनको समझाती थीं और, कई मामलों मे, उन्हें घर से केंद्र तक पहुंचाती थीं। इसके लिए, उनके पास एक गाड़ी भी रखी गयी थी।

हेल्पलाइन का प्रचार गाँव-गाँव मे, हर कस्बे और शहर में किया गया था। लड़कियों के लिए चल रहे तमाम स्कूल और कालेजों मे जाकर 181 में काम करने वाली काउंसलरों ने हेल्पलाइन का प्रचार किया। यह सच्चाई है की यह नंबर प्रदेश की हर महिला और युवती के जहन की गहराइयों मे प्रवेश कर चुका है।

इसका नतीजा है की 2016 से अब तक 5 लाख 50 हजार मामलों मे यह काउंसलर हस्तक्षेप कर चुकी हैं। न जाने कितनी महिलाओं को उन्होने हिंसा से बचाया है, कितनों की पति के साथ काउंसिलिंग करके उनके पारिवारिक रिश्तों को जोड़ने का काम किया है, कितनों को अपहरणकर्ताओं और देह व्यापारियो के चंगुल से बचाया है। एक दिलचस्प बात यह है की उनको फोन करने वाली महिलाएं अक्सर कहती थी कि दीदी थाने तो नहीं जाना पड़ेगा? या, पुलिस गाड़ी में हमे लेने मत आईयेगा, परिवार की बड़ी बेइज्जती होगी।
जहां पुलिस की मदद की आवश्यकता पड़ती थी, वहाँ यह काउंसलर उसमें भी मदद करती थीं।

दो साल पहले, गाड़ियों का खर्च आना बंद हो गया।

एक साल पहले, प्रदेश भर में काम करने वाली 351 महिला काउंसलरों को वेतन मिलना बंद हो गया। वेतन भी कितना? मात्र 12000 रुपये महीना। वह भी बंद हो गया। उन्होंने काम करना बंद नहीं किया। अधिकारी भी आश्वासन देते रहे की काम करती रहो, वेतन का इंतेजाम हो रहा है।

अचानक, 1 जून को जी वी के ई एम आर आई ने लखनऊ के 181 हेल्पलाइन के प्रधान कार्यालय को नोटिस भेज दिया कि सरकार से पैसों का भुगतान न होने के कारण, वह अपने आपको इस काम से अलग कर रही है। और 2-3 दिन बाद, कई केन्द्रों में कार्यरत महिलाओं को उनके जिलों के जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिनकी निगरानी मे केंद्र चलते थे, ने कह दिया की अब काम पर आने की कोई आवश्यकता नहीं है।

उत्तर प्रदेश की हेल्पलाइन की वेबसाइट से 181 का नंबर हट गया है। ऐसा लगता है की वह कभी अस्तित्व मे था ही नहीं। उन 351 काउंसलर का कमाया हुआ वेतन, उन 351 काउंसलर का भविष्य, प्रदेश की करोड़ों पीड़ित-परेशन महिलाओं का जाना-पहचाना सहारा, सब लुप्त हो गये हैं। केंद्रीय बजट में शामिल ‘निर्भया कोष’ का आखिर क्या हुआ ? प्रदेश की महिलाओं, जिनके साथ होने वाली हिंसा का आंकड़ा पूरे देश में सबसे अधिक है, उनकी सुरक्षा का वादा कहाँ गया ? रोजगार देने का

वचन देने वाले, महिलाओं का रोजगार छीनने पर क्यों तुले हैं ? यह सब ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब उत्तर प्रदेश की सरकार की कोई हेल्पलाइन देने को तैयार नहीं।

आयुषी ने जून के अंत मे उन्नाव का अपना किराये का कमरा खाली कर दिया। उसका कई महीनों का किराया बकाया था। खाली करना उसकी मजबूरी थी। अपने पति और बच्ची के साथ वह अपने मायके लौट आई। कुछ उम्मीद बनी हुई थी कि पिछला वेतन मिल जाएगा। किसी तरह वह अपनी नौकरी को बचाए रखेगी।

योगी जी और मोदी जी ने मिलकर जो लाइव कार्यक्रम किया था, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के 1 करोड़ 25 लाख निवासियों को काम देने का आश्वासन दिया। उसको आयुषी ने भी सुना होगा और उसके दिल मे भी एक टिमटिमाता उम्मीद का चिराग धीरे से सुलगा होगा। लेकिन जब उसे यह सूचना मिली कि 181 का काम अब बंद हो गया है और कमाए गए वेतन की बात भी कोई सुनने को तयार नहीं तो उस क्रूर झोंके ने टिमटिमाते चिराग को बुझा दिया।

3 जुलाई की शाम को वह अपने घर से यह कहकर निकली कि अपनी सी वी बनाने जा रही है, दूसरी नौकरी की कोशिश करेगी। शायद उसने अपनी सी वी ऊपर वाले के वहाँ लगाने की ठान ली थी और वही करने वह रेलवे लाइन की तरफ निकल गयी।

आयुषी का नाम बड़े चाव से उसके माता-पिता ने रखा होगा। लेकिन आयुषी ही तो वह नहीं बन पायी। बन गयी अपने प्रदेशवासियों के टूटे सपनों, टूटे विश्वासों और झूठे वादों से उनकी टूटी हिम्मत की तस्वीर।

(बुलेटिन के प्रेस जाते जाते पता चला है की 181 मे कार्यरत महिलाओं के धारणा-प्रदर्शन के बाद सरकार ने उनके वेतन के भुगतान का फैसला किया है। लेकिन उनकी बहाली पर अभी भी चुप्पी है)।

निकम्मे शासक और अंधविष्वासों में उलझती निरपराध जनता

रामपरी

दुनियां भर में कोरोना वायरस से फैल रही इस वैष्विक बीमारी से बचने और ठीक होने के लिये वैज्ञानिक, सरकारें, डॉक्टर, वायरॉलॉजिस्ट सब इस बीमारी का कारण और निदान ढूंढने और इसका प्रतिरोधात्मक टीका खोजने मे लगे हैं क्योंकि यही इसका एकमात्र इलाज हो सकता है।

लेकिन विष्वगुरू बनने वाले हमारे देष भारत में जनता को अंधविष्वास की ओर धकेल कर पूजा पाठ में इसका निदान खोजने के लिये कहा जा रहा है।

महामारी को दैवीय शक्ति का प्रकोप बताकर अफवाह फैलाना जिम्मेदारी से भागना है। कोरोना वायरस एक वैश्विक महामारी है, जिसे वैज्ञानिक शोध,सोच और उचित चिकित्सा सुविधा से ही निपटा जा सकता है। इस वायरस से बचने के लिए मास्क, फिजिकल दूरी, साबुन से बार बार हाथ धोना, और अन्य प्रांतों से आने वाले नागरिकों के लिए क्वारांटाइन, अधिक से अधिक जांच की सुविधा जैसे उपाय ही लाभप्रद होते हैं। आम नागरिक घर से बाहर नहीं निकले, उनके लिए भोजन, राशन तथा अन्य सुविधा मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार की है। इस जिम्मेदारी को सरकार बखूबी नहीं कर सकी और लॉक डाउन के शुरुआती दौर में हीं प्रधानमंत्री जी ने ताली और थाली बजाने, दीप जलाने जैसे अंधविश्वासों से लोगों के दिमाग भर दिए।

जिसका नतीजा बिहार की ग्रामीण और शहरी इलाकों में देखा गया, बड़े पैमाने पर गरीब और दलित वर्ग की महिलाओं के बीच अफवाह फैलायी गयी कि कोरोना माई नाराज हो गई है इसलिए इसे खुश करने के लिए पूजा पाठ करना होगा। इस संदर्भ में मधुबनी जिले के खुटौना, लोकही गांवों में बलान नदी में महिलाएं झुंड बनाकर गीत गाते हुए नदी के किनारे चुरा दही मिठाई सिंघाड़ा बिंदी लेकर पहुंचती हैं और अगरबत्ती धूप से पूजा करती हैं, उसी तरह परसा गांव में भी खेत में बैठकर सिंदूर बिंदी पान मिठाई से पूजा की गयी और गीत गाया गया। मोतिहारी में घर के बाहर दरवाजे पर 10-15 महिला एक पंक्ति में बैठकर भूत भगाने जैसा भगौत खेल खेलकर करोना भगा रही थी। पटना में छठ का सूप लेकर दो तीन महिला घर-घर चंदा मांगती नजर आई कोरोना पूजा करने के लिए।

इस पूजा पाठ का एक पक्ष यह भी है कि महामारी को चेहरा भी महिला का दिया है यानि जो बर्बादी ला रही है वह एक चुडैल के रूप में महिला है कोरोना देवी है। हिंदुस्तानी दिमाग में बैठी पितृसत्तात्मक सोच का यह भी एक नमूना है।

वैसे अंधविश्वास को बढ़ावा देने के लिये केवल गांव के ओझा और पंडे पुजारी ही जिम्मेदार नहीं हैं बल्कि देष के लिये कानून बनाने वाली संसद में बैठने वाले मंत्री और सांसद के अलावा प्रदेषों के मुख्यमंत्री भी हैं। उत्तर प्रदेष की भाजपा सरकार के मुख्य मंत्री योगी का कहना है कि योग करने से कोरोना नहीं होगा तो आसाम की भाजपा विधायक हरिप्रिया का कहना है कि गौमूत्र के छिड़काव से और गोबर से कोरोना से बचा जा सकता है। तेलंगाना में तो आर एस एस ने बाकायदा यह अभियान चालू कर दिया है कि महिलाओं के घर के बाहर निकलने और पूजापाठ व्रत उपवास बंद कर देने के कारण यह महामारी फैली है इसलिये अब महिलाओं को घर में ही रहना चाहिये और परिवार की देखभाल करनी चाहिये।

राजस्थान में कई मंदिरों के दरवाजे चुपके से खोल दिये गये और कहा गया कि ये अपने आप ही खुल गये हैं। और लोगों को विषेष रूप से महिलाओं को कोरोना को शांत करने के लिये प्रार्थना करनी

चाहिये। उडीसा में संघ परिवार के प्रचारक यह कहते हुये घूम रहे हैं कि मंदिरों के कपाट बंद करने से कोरोना फैल रहा है।

लेकिन वास्तविकता यह है कि जब शासक वर्ग जनता पर आये संकटों का समाधान नहीं निकाल पाते या फिर उस संकट के बहाने से अपनी स्वार्थ सिद्ध करने मे ं लगे रहते हैं तब जनता को उस संकट की वास्तविक गंभीरता बताकर उसे जीवन को बचाने के लिये वैज्ञानिक सोच के साथ जीवन जीने का तरीका नहीं बताते बल्कि अंधविष्वास ही नहीं अतार्किक बातों से भी जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। और इस तरह का शासक वर्ग दुनियंा में कई देषों में है। सर्वषक्तिमान अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डाक्टरों को कहा कि कोरोना के इलाज के लिये सफाई करने वाली दवाई का इंजेक्षन लगाना चाहिये। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाषेंको ने कहा कि घबराइये मत ट्रेक्टर चलाते रहिये और वोदका पीते रहिये तो कोरोना आपके पास नहीं आयेगा। तंजानिया के राष्ट्रपति ने कहा कि प्रार्थना करने से कोरोना के रूप मे आया शैतान इंसान के पास नहीं आ पायेगा।

एडवा ने इन अंधविष्वासों के खिलाफ और स्वास्थ्य के अधिकार को लेकर कैप्टन लक्ष्मी सहगल की पुण्यतिथि 23 जुलाई से लेकर डा नरेंद्र दाभोलकर की पुण्य तिथि 20 अगस्त तक एक अभियान अखिल भारतीय जनविज्ञान नेटवर्क के साथ चलाने का तय किया है जिसमें इन अंधविष्वासों के खिलाफ जनता को जागरूक किया जायेगा।

23 जुलाई' 20 कैप्टन लक्ष्मी सहगल स्मृति दिवस
सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करो

साथियों,

हमारी प्रिय नेता कैप्टन डॉ0 लक्ष्मी सहगल को हम जब भी याद करते हैं तो हमारे जेहन में एक जुझारू व मजबूत इरादे वाली महिला की तस्वीर उभरती है साथ ही डॉक्टर के रूप में एक कोमल हृदय डॉक्टर जो वास्तव मे वंचित तबके की डॉक्टर थीं।

आज जब हम सब कोरोना महामारी के संकट से जूझ रहे है तो हमें डॉ0 लक्ष्मी सहगल जैसी डॉक्टर व समाज के हर तबके को इलाज की सुविधा सुनिश्चित करने वाली स्वास्थ्य व्यवस्था की जरूरत है क्योंकि कोरोना महामारी एक व्यक्ति की नही पूरे समुदाय की बीमारी है और पूरे समाज को स्वस्थ रखने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं ही कारगर हो सकती हैं।

महामारी के इस दौर ने सिद्ध कर दिया है कि स्वास्थ्य जैसा बुनियादी अधिकार जब बाजार के हवाले होगा तो वह मुनाफे के सिद्धांत पर चलेगा जिसमें गरीब जनता की कोई जगह नहीं होगी और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है दुनिया का सबसे धनी देश अमेरिका जो तमाम संसाधनों के बाद भी कोरोना महामारी को रोकने में विफल रहा है और दूसरी ओर समाजवादी देश है जो कोरोना की जंग को केवल इसलिये जीत पा रहे है क्योंकि वे जनता के हित को सबसे ऊपर रखते हुए **'स्वास्थ्य'** को **'खर्च'** नहीं बल्कि **'सेवा'** मानते हैं।

- अमेरिका में स्वास्थ्य सेवाएं प्राइवेट है और बीमा कंपनियों के हवाले हैं। क्यूबा व वियतनाम जैसे समाजवादी देशों में स्वास्थ्य सेवाएं सरकार के हाथ मे है और **"सबके लिए स्वास्थ्य सेवा"** (**Universal Health Care**) के सिद्धांत पर चलती हैं।
- अमेरिका जैसा पूजीवादी देश इस महामारी से निपटने के लिए किसी देश की मदद नहीं कर रहा है वही क्यूबा के डॉक्टर के लिए इटली, ब्राजील जैसे देशों में मदद के लिए जा रहे हैं। वियतनाम अमेरिका को 45000 पी.पी.ई. किट भेज रहा है।
- दुनिया के सबसे अमीर देश में मौतों की संख्या लाखों मे पहुंच गई है वहीं छोटे से समाजवादी देश वियतनाम ने अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण के चलते अपने देश में कोरोना के कारण एक भी मौत नही होने दी है।
- हमारे अपने देश मे भी एक **'केरल'** एक छोटा सा राज्य है जिसकी वामपंथी राज्य सरकार की नीतियो एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था के मजबूत ढांचे के कारण आज कोरोना से लड़ने में यह राज्य चौंपियन घोषित हो रहा है।
- केरल सरकार का स्वास्थ्य पर बजट 5.6 प्रतिशत है वहीं केंद्र सरकार का स्वास्थ्य बजट (2019–20) केवल 2 प्रतिशत है स्वास्थ्य बजट का बड़ा हिस्सा पिछले सालों में आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा पर खर्च किया गया है।
- कोरोना के दौर मे प्रतिरोधक क्षमता **'पौष्टिक भोजन'** से ही बढ़ाई जा सकती थी जिसमें केरल सरकार ने भरपूर ध्यान दिया और कुटुम्बश्री के द्वारा सामुदायिक रसोई चलाई गई वही आंगनवाड़ी द्वारा स्कूली बच्चों को घर–घर **'मिड डे मील'** पहुंचाया गया, वही केंद्र सरकार ने स्कूल बंद करने के साथ ही मिड डे मील भी बंद कर दिया।
- कोरोना की पहली दस्तक होते ही केरल ने कोरोना से निपटने की पूरी तैयारियां कर ली थी, वहीं केंद्र की सरकार ट्रंप के भव्य स्वागत की तैयारियों में लगी थी।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देश अनुसार केरल मे कोविड पॉजिटिव के संपर्क में आने वालों की पहचान, टेस्टिंग, क्वारंटीन व इलाज की पूरी सुविधाओं को सुनिश्चित कर कोरोना के फैलाव को रोका गया जबकि देश के अन्य राज्यो मे इस ओर बहुत लापरवाही की जा रही है।
- जमीनी स्तर तक मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे के कारण ही आज केरल मे 100 पॉजिटिव केस में मृत्यु दर 0.39 प्रतिशत है वहीं राष्ट्रीय औसत 2.67 प्रतिशत और विश्व का 4.38 प्रतिशत है।

साथियों, उपरोक्त तुलनात्मक तथ्यों से स्पष्ट है कि **'स्वास्थ्य'** जनता का बुनियादी अधिकार है और हम सबको स्वास्थ्य का हक केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करके ही दिला सकते है।

निवेदक
अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति
एडवा

एक साल के बाद पलट के आया कश्मीर मे पतझड़ का मौसम

सुभाषिनी अली

5 अगस्त 2019 को कश्मीर मे सब कुछ बदल गया। बहुत कम लोग समझ पाये कि देश मे बहुत कुछ बदलने की यह शुरुआत थी। भाजपा सरकार ने अपनी बहुमत का तिकड़मी तरीके से इस्तेमाल किया और कश्मीर के नक्शे को ही बदल डाला। इसमे मिली कामयाबी तो शेर के मुंह मे इंसान के

खून लगने के समान थी और भारत की परिभाषाओं को बदलने का काम शुरू हो गया। कश्मीर का तो लाक डाउन हुआ ही, अब देश भर मे तरह तरह के लाक डाउन लग रहे हैं।

शहरों का लाकडाउन, काम का लाक डाउन, स्कूल कालेजो का लाक डाउन, न्यायालय का लाक डाउन, संवैधानिक अधिकारों का लाक डाउन ... अब लाक डाउन से पैदा घुटन और निराशा हम सबके जीवन का हिस्सा बन गये हैं।

पिछले दशक मे, कश्मीर की पीड़ा ने तमाम प्रतिभाओं को पैदा किया हैं। उसके दर्द, उसके खून से रंगी वादियाँ, उसके आंसुओं से नमकीन हुए झीलों के पानी को शब्दों मे तब्दील करने का काम इन प्रतिभाओं ने किया है। हम एक शायर और एक शायरा की कुछ पंक्तियाँ और कुछ शब्द यहाँ पेश कर रहे हैं।

5 अगस्त को शरद का महीना, पतझड़ का मौसम शुरू होता है। कश्मीर के संदर्भ मे पतझड़ के मौसम के बहुत मायने हैं, 2019 के बाद से इनमे एक नया, भयानक पहलू और जुड़ गया।

मेरे कमजोर अनुवाद के बावजूद उनके भाव आपको छू लेंगे, इस आशा के साथ पेश है -

23 वर्षीय सैफ कहते हैं -
खामोशी फिर चीर दी गयी है,
कस्बा मातम कर रहा है
कई दिनों तक आंखो ने जनाजे को देखा

यहाँ मौत रात में आती है
पतझड़ के मौसम ने गुलाब और फूलों के बाग की शाइस्तगी को छीन लिया

निग़हत साहिबा एक बड़ी शायरा के रूप मे उभर रही हैं। उनकी कविताओं का संग्रह ‘जर्द (पीले) पत्तों का ढेर’ हाल मे छपी है जिसमे पतझड़ के मौसम के तमाम पहलुओं का इस्तेमाल हर पन्ने पर किया गया है।

इसकी वजह वह बताती हैं ‘कश्मीर मे पतझड़ का मौसम साल भर का सबसे ज्यादा खूबसूरत और सबसे अधिक विचारों को उत्पन्न करने वाला है।

सब कुछ खत्म होने वाला है और कभी कभी अंत भी खूबसूरत होते हैं। पत्तों की खड़खड़ाहट पीढ़ियों की चीखें हैं मेरी जिंदगी मे भी सूख रहे पत्तों के ढेर हैं, मरी खाल, दर्द जो बहुत आवाज करता है। मैं अपने शब्दों द्वारा अपने अंदर का वह दर्द बाहर खीचने की कोशिश करती हुँ।

अक्सर मुझे सवाल परेशान करते हैं जो कुछ जैसा है, क्यों हैं? हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, अंत मे कहाँ जाएँगे ? हमारे चारों ओर, इतना दर्द क्यों है ?’

उन्ही के ये शेर हैं -

‘मैं तो पतझड़ की पीली पड़ गयी पत्तों के पैरहन (कपड़ो)मे लिपटी हुँ
और तुम मुझे बहार मे मिलने के लिए कहते हो?’
और कश्मीरी माताओं के कभी समाप्त न होने वाली पीड़ा को वह इस तरह बयान करती हैं
‘आसमान मे तारों की तरह जड़े हुए, वह कहाँ गए?
अंधेरे दिनों मे दिलों को बेचैन करने के बाद, वह कहाँ गए?
वह हमारे घरों मे फूलों की शक्ल मे आए,
फिर यादों की बारूद बिछा कर, वह कहाँ गए?
उन्हे गोलियां ले गईं, उन्हे कब्र खा गए
जो माताओं के बगल मे सोये पड़े थे, वह कहाँ गए?

संरक्षण गृहों मे सुरक्षा का सवाल संदर्भ उत्तर प्रदेष और हरियाणा

सुभाषिणी अली और जगमति सांगवान

संरक्षण गृह: उत्तर प्रदेष का अनुभव

हमारे संगठन ने कई बार संरक्षण गृहों मे होने वाले अत्याचार के खिलाफ हस्तक्षेप किया है। इन संरक्षण गृहों मे नाबालिग और बालिग महिलाओं को रखा जाता है। इनमे से कई अत्याचारों और हिंसा की शिकार होती हैं। कई तो घर से निकाली हुए, बेघर महिलाएं जो इधर-उधर घूमती हुई पायी जाती हैं। इनमे ऐसी भी युवतियाँ होती हैं जिन्होने अंतर-जातीय या अंतर-धार्मिक संबंध किसी पुरुष से बनाया है या बनाने की इच्छुक हैं या फिर अपने माँ-बाप की इच्छा के वीरूद्ध अपनी मर्जी से किसी के साथ संबंध बनाने का फैसला किया है। इन सबको माँ-बाप पुलिस के सामने ना-बालिग प्रमाणित करने मे सफलता प्राप्त करके इन्हे इस तरह के संरक्षण गृहों मे भेज देने के लिए राजी हो जाते हैं और जिनसे उनका संबंध है, उन्हे POCSO कानून के तहत बलात्कार के कानून के अंतर्गत गिरफ्तार करवा देते हैं।

इन तमाम तरह की ना-बालिग और बालिग महिलाओं को एक साथ इन संरक्षण गृहों मे रख दिया जाता है। एक तरह से कैद कर दिया जाता है। उनकी समस्याओं को समझने की कोई कोशिश नहीं की जाती है। इनको कानूनी सलाह से वंचित रखा जाता है। इनको मिलने वाले भोजन का पैसा चुराया जाता है। इन्हे ठूस ठूसकर कमरों मे भरा जाता है, अक्सर एक बिस्तर पर दो-तीन को सुलाया जाता है। इन्हे ना तो डाक्टर देखने आता है, नाही इंका इलाज होता है। यह तो हालत उन संरक्षण गृहों की है जो अच्छी हैं।

जिन संरक्षण गृहों को नारकीय कहा जाता है वहाँ भर्ती संवासियों का यौन उत्पीड़न होता है, उनके साथ इस तरह का व्यवहार होता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। हाल मे ही, मुजफ्फरपुर मे एक संरक्षण गृह जिसे सरकार के करीबी लोग एक छळव् के माध्यम से चला रहे थे, वहाँ की दिल को दहला देने वाली सच्चाईयां सामने आई हैं। तमाम लोग, जिनमे बिहार की ।AIDWA की इकाई भी शामिल है, के अथक प्रयासों से दोषी अधिकारियों और नेताओं के खिलाफ मुकद्दमे कायम हुए और, हाल मे, CBI की कोर्ट ने उनको सख्त सजा सुनाई है। एक को तो मरते दिन तक की कैद की सजा सुनाई है।

देश भर मे इस तरह की घटनाएँ घट रही हैं और हमारे संगठन ने इस पूरे मामले को समझने और आंदोलन का मुद्दा बनाने का फैसला लिया है।

<u>संरक्षण गृह: हरियाणा का अनुभव</u>

तमाम कारणो के चलते महिलाओं, युवतियाँ और बच्चियाँ घर से बेघर हो जाती हैं। इस जरूरत को पूरा करने और संविधान के अनुच्छेद 21 जिसमें हर नागरिक को गरिमा पूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए, विभिन्न प्रकार के प्रोटेक्शन होम (संरक्षण घृह) बनाए हैं। इनको केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे हैं तथा स्वैच्छिक संगठनों को भी सरकार ने आर्थिक अनुदान इस प्रकार के प्रोटेक्शन होम चलाने के लिए देती है . सरकार व प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे प्रोटेक्शन होम्स की स्थिति भी ही खस्ता व तमाम तरह की असुरक्षा से ग्रस्त पाई जाती है .मसलन बहुत ही कम जगह होना ,अंधेरे कमरे, संवेदनहइता ,अलग-अलग तरह की समस्याओं से जूझ रही सभी महिलाओं को इकट्ठा एक ही हॉल (बड़ा कमरा)में रखना ,शौचालय व स्नानघर की घोर कमी ,सफाई व हाइजीन नदारद और खाने के प्रबंधन आदि में व्याप्त भ्रष्टाचार, इनमे व्याप्त है।

महिलाओं को सुरक्षा देने के नाम पर उनके तमाम नागरिक अधिकारों का अपहरण कर दिया जाता है और वह कैद मे रहती हैं। काफी जगहों पर सत्ताधारी पार्टी के नेताओं व नौकरशाहों द्वारा वहां मसाज व यौन सुख लेने की भी खबरें आती हैं. वहां काम करने वालों मे भी महिलाओं के शारीरिक, मानसिक व यौन शोषण में संलिप्त पाये जाते है .

जब सरकारी संरक्षण ग्रहों की यह हालत है तो प्राइवेट संरक्षण ग्रहों में चलने वाले गोरखधंधे का आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है . इस गोरखधंधे की परतें खोलने वाला ‘अपना घर प्रोटेक्शन होम’ कांड 9 मई 2012 को हरियाणा में उजागर हुआ जिसके आरोपियों को 27 अप्रैल 2018 को सीबीआई स्पेशल कोर्ट पंचकूला द्वारा सजा सुनाई गई थी। उल्लेखनीय है कि भारत विकास संघ नामक संस्था द्वारा हरियाणा के रोहतक जिले में ‘अपना घर’ नाम से नाम से संरक्षण गृह चलाया जा रहा था. इसकी मालिक, जसवंती देवी, रोहतक बार काउंसिल की पंजीकृत सदस्य थी. सभी बेसहारा व बेघर महिलाओं और बच्चियों को प्रशासन आराम से उनके सुपुर्द कर देता था लेकिन इसकी सुध लेने के बजाय की संस्था नियमानुसार चल रही है या नहीं, खुद भी संस्था से अवैध सुविधाएं लेता रहता था. मसलन अधिकारियों द्वारा मसाज और यौन सुख पाने की खबरें भी सामने आई।

AIDWA की हरियाणा इकाई ने अनेक बार इन अनियमितताओं की तरफ प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया मगर प्रशासन व राजनेता ‘अपना घर’ को और बढावा देते रहे। जसवंती देवी इसका फायदा उठाकर एक से बढकर एक गलत काम बेखौफ करती चली गई।

फिर खबर मिलने लगी की संरक्षण गृह मे बच्चियों को बेचना, मालकिन के ड्राइवर, रिश्तेदारों, चैकीदारों व रसोइयों द्वारा लड़कियों का यौन शोषण व निर्मम पिटाई, लड़कियों द्वारा मालकिन के

खेतों में कटाई व घरों में चिनाई का काम करवाना के कार्य हो रहे थे। संस्था के सफाई, पोछा झाड़ु ,खाना बनाना आदि सारा काम इन लड़कियों से करवाया जाता था और मालकिन व स्टाफ के लोग उनसे मालिश भी करवाती थी। अगर कोई किसी प्रकार की सूचना बाहर दे, तो उसको चिमटों से दागा जाता था। इसके बावजूद प्रशासन द्वारा जसवंती को हर स्वतंत्रता व गणतंत्र दिवस पर अच्छे काम करने के लिए सम्मानित किया जाता था. बच्चों के संरक्षण के लिए बनी तमाम कमेटियों की वह सदस्या थी. पैसों की सारी ग्रांट मंत्रियों के अनुमोदन से उन्हें मिलती थी।

फिर 9 मई, 2012 को तीन लड़कियां किसी तरह 'अपना घर' से निकलकर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, दिल्ली जा पहुंची और उनकी शिकायत सुनने के बाद, आयोग की टीम ने 11 मई 2012 को 'अपना घर' पर छापा मारा और वहाँ हालात को बेपर्दा किया। इसका नतीजा यह हुआ की तमाम प्रोटेक्शन होम मे हो रहे अत्याचार की खबरें छापने लगी। जनवादी महिला समिति को अलग-अलग जगह पर लोगों ने इस शोषण के खिलाफ आवाज उठाने के लिए बुलाना शुरू किया। हमने अनेक दिनों तक इन संघर्षों को सफलता तक ले जाने वाला आंदोलन चलाया।

जिन लोगों ने इन प्रोडक्शन होम्स में हो रहे अपराधों के खिलाफ बोलने का या पर्दाफाश करने का हौसला दिखाया था, एक बड़ा कन्वेन्शन करके, हमारे संगठन ने उन सभी का सार्वजनिक रूप से सम्मान किया। तमाम अपराधियों को सजा भी दिलवाई गई।

इन होम्स की उचित निगरानी आवश्यक है। साथ ही इनके स्टाफ, बजट इत्यादि का भी ध्यान रखने की जरूरत है। महिला संगठनों को लगातार इन प्रोटेक्शन होम्स का सवाल उठाना होगा। इनमे भर्ती महिलाएं, लड़कियां और बच्चियों को बंद दरवाजों के पीछे अत्याचार सहने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है।
(तमाम पाठकों से हमारी अपील है की इस तरह के मामलों मे अपने हस्तक्षेप के बारे मे लिखकर भेजें और इस समस्या के तमाम पहलुओं पर अपनी जानकारी, राय और सुझाव भी दें)

फॉलो करे :

फेसबुक: https://www.facebook.com/AIDWA/

वेबसाइट: http://www.aidwaonline.org